

समापन भाषण

माननीय सदस्यगण, अष्टादश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र दिनांक 02.02.2026 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 27.02.2026 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल-19 (उन्नीस) बैठकें हुई।

अष्टादश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र में सभी माननीय सदस्यों ने बिहार के विकास के लिए अपनी-अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके लिए कहना चाहूंगा-

जय का केवल एक नियम है, जीना है या मरना है।
अपना निश्चित पात्र निभाकर, भव के पार उतरना है ॥
भीष्म, द्रोण या कर्ण युधिष्ठिर, अर्जुन हो या केशव हो।
जीवन कुरुक्षेत्र का रण है, युद्ध सभी को करना है ॥

सत्र संचालन में सबका सहयोग मुझे मिला, हो सकता है मैंने सदन में सत्र संचालन में व्यवधान करने वाले सदस्यों को रोका-टोका है, जो हमारा धर्म है उनके लिए कहना चाहूंगा-

प्रेम हमारा मूल धर्म है, सारे सदन में बाटेंगे।
पर कुकर्म पर शीश उठाकर, सत्ता को भी समझायेंगे ॥
किसी साध्वी के हाथों से झुठे बेर भी खा लेंगे।
बिना झिझक के सूर्यनखा की कुटिल नाक भी काटेंगे ॥

हम सब मिलकर पाँच वर्षों में विकसित बिहार के सपने को पूरा करेंगे। अतः सत्तापक्ष और विपक्ष सबको बिहार विकास में अपनी आहूति देनी है-

जिनके हिस्से में जितना है, उसको उतना भरना होगा।
सबके अपने-अपने कुरुक्षेत्र हैं, लेकर शस्त्र उतरना होगा ॥
क्षमा धर्म है लेकिन किसको? साधु, सज्जन, सेवकजन को।
अगर जयद्रथ को छोड़ोगे तो, अभिमन्यु को मरना होगा ॥

बिहार कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान राज्य रहा है। हमें किसानों और जवानों के लिए और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ताकि विकसित बिहार से विकसित भारत का सपना पूरा हो सके-

धरा के कोष को हिलकोरती, श्रम की मथानी पर।
समय के वक्ष पर उपट्टी, पराक्रम की निशानी पर ॥
समूचा विश्व आश्रित है, महज दो सहारे पर।
किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी पर ॥

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 02.02.2026 को सेन्ट्रल हॉल में बिहार विधान मंडल के सदस्यों के एक साथ समवेत उपस्थिति में माननीय राज्यपाल का संबोधन हुआ एवं अन्य बैठकें सभावेश में हुई। बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमोदित विधेयक का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया, जिसकी सूचना अष्टादश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई। उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वर्ष

2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति भी सदन पटल पर रखी गयी। इस सत्र में 04 (चार) जननायकों के निधन के प्रति शोक प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

दिनांक-03 फरवरी, 2026 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्ययक को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 03 एवं 05 फरवरी, 2026 को वाद-विवाद हुआ और 05 फरवरी को ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया। तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिनांक 06 एवं 09 फरवरी, 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श हुआ और दिनांक 09 फरवरी, 2026 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया। दिनांक 09 फरवरी, 2026 को ही प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण को भी सदन में उपस्थापित किया गया।

दिनांक 11 फरवरी, 2026 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित समाज कल्याण विभाग के अनुदान की माँग पर वाद विवाद प्रारंभ हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई। तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक से संबंधित 08 (आठ) अनुदानों की माँगें सदन में विमर्श के उपरान्त स्वीकृत हुए एवं दिनांक 20 फरवरी, 2026 को आय-व्ययक में सम्मिलित शेष अनुदानों की माँगें गिलोटीन (मुखबंध) के द्वारा स्वीकृत हुए।

दिनांक 23 फरवरी, 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026 का व्यवस्थापन हुआ तथा बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026 सदन में स्वीकृत हुआ।

दिनांक 25 फरवरी, 2026 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेन्डर बजट, हरित बजट पुस्तिकाओं तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

दिनांक 26 फरवरी, 2026 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक से प्राप्त वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 का "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक" तथा वर्ष 2024-25 का वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे से संबंधित प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया। साथ ही, इन प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने एवं जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2026
2. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026
3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
5. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026
6. बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026
7. बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026
8. बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026
9. बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026
10. बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026
11. बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026
12. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026

सत्र के दौरान कुल 4190 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 3783 प्रश्न स्वीकृत हुए। इन स्वीकृत 3783 प्रश्नों में कुल-132 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 125 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए, कुल 2825 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 2656 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 826 प्रश्न अतारांकित हुए। सरकार की संवेदनशीलता से लगभग सभी विभागों ने प्रश्नों का शत-प्रतिशत उत्तर दिया।

इस सत्र में कुल 388 ध्यानाकर्षण सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें 36 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 334 सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 18 अमान्य हुए।

इस सत्र में कुल 779 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 765 स्वीकृत हुए एवं 14 अस्वीकृत हुए। कुल 569 याचिकायें प्राप्त हुईं, जिनमें 532 स्वीकृत एवं 37 अस्वीकृत हुईं। इस सत्र में कुल 282 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रिगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (डिजिटल मीडिया) ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सदस्यगण, आपने जिस गंभीरता, अनुशासन और उत्तरदायित्व के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लिया, वह लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने वाला है। सार्थक बहस, रचनात्मक सुझाव और जनहित के मुद्दों पर आपकी सक्रिय सहभागिता ने इस सत्र को प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाया है।

आपसबों की सदन के प्रति रूचि और सहभागिता को देखते हुए और इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्कृष्ट विधायक सम्मान की परंपरा बिहार विधान सभा में भी आरंभ की जाएगी। इसके लिए एक समिति बनाकर इसकी समीक्षा की जाएगी और उसकी अनुशंसा के आलोक में आगामी बजट सत्र से यह सम्मान दिए जाने का उपक्रम शुरू होगा। इस हेतु आपसबों के सार्थक सुझाव भी अपेक्षित होंगे।

आगामी होली के पावन अवसर पर मैं आप सभी तथा आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। रंगों का यह पर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा, पारस्परिक सद्भाव और सामाजिक समरसता का संचार करे। भिन्न विचारों के बावजूद हमारी लोकतांत्रिक एकता और मजबूत हो, यही कामना है।

“प्रेम में इबादत का मिला कर रंग थोड़ा सा,
करो दिल का चमन गुलजार मेरे यार होली में”

“मिट्टी कर बीच के बंधन भूला दें आज सारे गम,
न कोई आज है दुश्मन अजी खेलें हम होली”
“लगाएँ प्रेम का चंदन, महक उठे हर इक आँगन,
बना कर मन खरा कुंदन, अजी खेलेंगे हम होली”

अंत में,

“सब का अलग अंदाज था सब रंग रखते थे जुदा-जुदा,
रहना सभी के साथ था सो खुद को पानी कर लिया”
